बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संचिका सं0–5 / अ0प्र0–01–18 / 2022 4569 पटना, दिनांक– 30/8/22

अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं0–02 / 2017 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों की सूची में नाम सम्मिलित नहीं होने के कारण श्रीमती सुषमा कुमारी, अनुक्रमांक–213988 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या–15520 / 2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.05.2022 को पारित आदेश एवं तदालोक में दायर अवमाननावाद सं0–1247 / 2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 18.08.2022 को एक सप्ताह के अन्दर न्यायादेश का अनुपालन करने का आदेश पारित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त अवमननावाद सं0–1247 / 2022 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 14762 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा याचिकाकर्ता श्रीमती सुषमा कुमारी को गैर आरक्षित वर्ग के अधीन महिलाओं के 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विरूद्ध चयनित करने हेतु मात्र एक (01) पद की संशोधित अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 18 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा याचिकाकर्ता को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4464 अनु0 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा प्राप्त सूची के आलोक में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति के निमित्त अनुशंसित याचिकाकर्ता श्रीमती सुषमा कुमारी का दिनांक 30.08.2022 को शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों की जाँच की गयी। तदालोक में विज्ञापन सं0–02 / 2017 के अन्तर्गत निम्न तालिका में गैर आरक्षित पद के अधीन श्रीमती सुषमा कुमारी को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–2 में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतनमान 53,100–1,67,800 / – वेतन स्तर–9 में एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन कार्यभार / पदभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	पिता का नाम	स्थायी पता	पत्राचार का पता	अभ्यर्थी का मूल कोटि	आवंटित आरक्षण रोस्टर कोटि	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्रीमती सुषमा कुमारी	213988	2155	25.08.1990	श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह	C/o श्री प्रीतम कुमार, ग्राम–कहलगॉव टोला, पो0–खवासपुर, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर, बिहार, पिनकोड–813209	C/o श्री प्रीतम कुमार, मयुर विहार कॉलोनी (श्याम नगर), अमर अर्पाटमेन्ट के सामने, खजपुरा, बी0भी0 कॉलेज, पटना, पिनकोड–800014	सामान्य	सामान्य	

(i) इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वास्तविक कार्यभार / पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

(ii) यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है जिसके लिए उनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) पूर्व वृत सत्यापन (पुलिस भेरिफिकेशन) प्रतिकूल रहने पर अस्थायी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जायेगी।

(iv) मूल प्रमाण–पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

30/8/2022

(v) ग्रामीण कार्य विभाग (मुख्यालय) कार्यालय या पदस्थापन से संबंधित कार्यालय में योगदान/पदग्रहण करने के लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(vi) नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर ग्रामीण कार्य विभाग में उनका योगदान देना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(vii) उपरोक्त नव नियुक्त सहायक अभियंता के द्वारा दहेज नहीं लेने–देने संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित किया गया है, तो उन्हें योगदान के समय प्रश्नगत प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।

(viii) उक्त नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमन आदेश/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ix) आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर उम्मीदवारी के संबंध में विसंगतियाँ पायी जाती है तो यह नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(x) यह नियुक्ति औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० 30/8/2022

(संजय दूबे)

सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–18/2022 4570 पटना, दिनांक– 30/8/22

प्रतिलिपि–दो अतिरिक्त प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 30/8/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–18/2022 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशार्थ हेतु अग्रसारित।

ह० 30/8/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–18/2022 4570 पटना, दिनांक– 30/8/22

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/निदेशक, परीक्षण शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–18 दिनांक 24.08.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 30/8/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–18/2022 4570 पटना, दिनांक– 30/8/22

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं नवनियुक्त सहायक अभियंता, श्रीमती सुषमा कुमारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 30/8/2022

सरकार के विशेष सचिव

आई टी मैनेजर